Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

घनश्याम वगै0 बनाम मु0उमादेवी पत्नि कैलाश नारायण वगै0

अपील संख्या 72/23 अन्तर्गत धारा 223 आर टी एक्ट GCMS NO 2023/176

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.8.25	अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उभयपक्ष के मध्य विवादित आराजीयात के संबंध मे आपसी राजीनामा हो जाने से पत्रावली आज पेशी पर ली जाकर राजीनामा तस्दीक करने हेतु निवेदन किये जाने से पत्रावली आज पेशी पर ली गई। अपीलांट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि उभयपक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा होने से राजीनामा अनुसार अपीलाधीन भूमि की खातेदारी रेस्पो0 कैलाश नारायण के वारिसान के नाम खातेदारी मे दर्ज करने मे अपीलांट को कोई आपत्ति नही है। विवादित भूमि ख0न0 330 रकबा 1.03 बीघा, ख0न0 332 रकबा 0.1000 बीघा, ख0न0 331 रकबा 1.0800 व ख0न0 333 रकबा 0.1200 की खातेदारी राजीनामा अनुसार कैलाश नारायण के वारिसान के नाम दर्ज की जावे। रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा राजीनामा पढकर सुनाया जाकर तस्दीक किया गया। आपस मे पक्षकारो की पहचान एक दुसरे के अधिवक्तागण द्वारा की गई। अतः प्रस्तुत राजीनामा अनुसार आराजी ख0न0 ख0न0 330, 331,332,333 वाके ग्राम क्यारदा कलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर की खातेदारी मृतक कैलाश नारायण पुत्र रामस्वरूप जाति महाजन निवासी ग्राम क्यारदा कलां तहसील खण्डार के विधिक वारिसान उमा देवी पत्नि स्व0कैलाशनारायण, धर्मेन्द्र, योगेन्द्र पुत्रान स्व0 कैलाशनारायण, बृजलता, अंजना, विधा, दिव्या, विनीता पुत्रियान स्व0कैलाश नारायण जातियान महाजन निवासी ग्राम क्यारदा कलां तहसील खण्डार के नाम राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज की जावे तथा राजस्व रिकार्ड मे हो रहे रहन मुर्तहीन के इन्द्राज को हजफ किया जावे। उक्त आराजीयात के बाबत यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	
18/8/25	रेस्पो. अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र 152 [illegible] कलेक्ट्रेट से पत्रावली आज पेशी पर ली [illegible] में प्रार्थना स्वीकार किया [illegible] नारायण के विधिक वारिसो मे योगेन्द्र दर्ज हो गया है जबकि उसका नाम योगेश हो अतः निर्णय दिनांक 04/8/25 मे योगेन्द्र के स्थान पर योगेश पढा जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot

Date: 2026.04.16 15:22:41 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner